

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुधांशु शेखर राय,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक-.....

विषय:- CWJC No.-202575/2021 रामाकान्त शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के निमित्त जिला एवं अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालयों में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के संबंध में।

प्रसंग:- विधि विभाग का ज्ञापांक-564/जै०, पटना, दिनांक-24.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है की विषयांकित वाद में पारित आदेश के अनुपालनार्थ राज्य के सभी जिला एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालयों में टायलेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाना है। टायलेट कॉम्प्लेक्स का वास्तुविदीय नक्शा विधि विभाग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इसके लिए 82'x59' वर्गफीट भूखंड/भूमि की आवश्यकता है। साथ ही अग्रिम योजना प्रमंडल द्वारा अनुमोदित नक्शे का ₹13.04 लाख प्रति इकाई हेतु तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन भी तैयार किया जा चुका है।

विदित हो कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विषयांकित वाद में निर्माण की प्रगति का सतत अनुश्रवण किया जा रहा है, जिसकी अगली सुनवाई दिनांक-12.03.2024 को निर्धारित है।

निदेश है कि उपर्युक्त के आलोक में अपने जिला एवं सत्र न्यायाधीश से संपर्क कर जिला एवं अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय परिसर में टायलेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु 82'x59' वर्गफीट का स्थल चिन्हित कराते हुए विभाग को शीघ्र सूचित करें, जिससे अग्रत्तर कार्रवाई की जा सकें। सुलभ प्रसंग हेतु विहित प्रपत्र की प्रति संलग्न की जा रही है। विहित प्रपत्र में एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में न्यायालय के समक्ष विपरीत परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुधांशु शेखर राय)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता को अपने स्तर से अनुश्रवण कर शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

बिहार सरकार
विधि विभाग

यावश्यक प्रेषक,

माननीय सेवा में,
उच्च
न्यायालय
रामलाज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिहार।

पटना दिनांक.....

विषय:- **CWJC No.-20575/2021** रामाकान्त शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के निमित्त जिला एवं अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालयों में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के संबंध में।

प्रसंग:- विधि विभाग का पत्र सं0-8231/जे0, दिनांक-20.10.2023 एवं ज्ञाप संख्या-205/जे0, दिनांक-11.01.2024 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में कहना है कि विषयांकित वाद में पारित आदेश के अनुपालनार्थ राज्य के सभी जिला एवं अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालयों में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाना है। इस संदर्भ में भवन निर्माण विभाग को टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के निमित्त कार्यपालक अभियंता के माध्यम से भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन सहित सभी जगहों (न्यायालय वार) का एक साथ समेकित प्राक्कलन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु समेकित प्राक्कलन अब तक अप्राप्त है।

उल्लेख करना है कि जिन जिला एवं अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालयों में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स नहीं है, वहाँ प्रति टॉयलेट कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप 82' x 59' वर्गफीट भू-खण्ड/भूमि की आवश्यकता है।

विदित हो कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा विषयांकित वाद में केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत जिला एवं अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालयों में लॉयर्स हॉल, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स एवं डिजिटल कम्प्यूटर रूम के निर्माण की प्रगति का सतत् अनुश्रवण किया जा रहा है, जिसकी अगली सुनवाई दिनांक-12.03.2024 को निर्धारित है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि आपके जिला एवं अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय परिसर में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के निमित्त 82' x 59' वर्गफीट भूमि/स्थल चिन्हित करते हुये उसकी सूचना शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु0:-यथोपरि।

विश्वासभाजन,

ह0/-ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव
सरकार के सचिव(प्र0), बिहार।

ज्ञापांक/जे0 पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई

किये जाने का निदेश दिये जाने की कृपा की जाय।

ह0/-ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव
सरकार के सचिव(प्र0), बिहार।

ज्ञापांक/जे० पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश से संपर्क स्थापित करते हुए निदेशानुसार चिन्हित स्थल भूमि पर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का प्राक्कलन शीघ्र गठित कर भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव
सरकार के सचिव(प्र०), बिहार।

ज्ञापांक564...../जे० पटना, दिनांक24-01-24

प्रतिलिपि:- सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.2024
(ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव)
सरकार के सचिव(प्र०), बिहार।
24.1.24

परिशिष्ट (अ)

14

पत्र संख्या-जी०/यो०-३१-१८/२०२२-५६५५/जे०

586

बिहार सरकार
विधि विभाग

14/6/22
2/6/22

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,
सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय :-

राज्य के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत
Lawyer's Hall एवं Toilet Complex निर्माण के निमित्त मॉडल वास्तुविधीय
नक्शे के अनुमोदन के संबंध में।

11/7/22
27/6/22

महाराज,

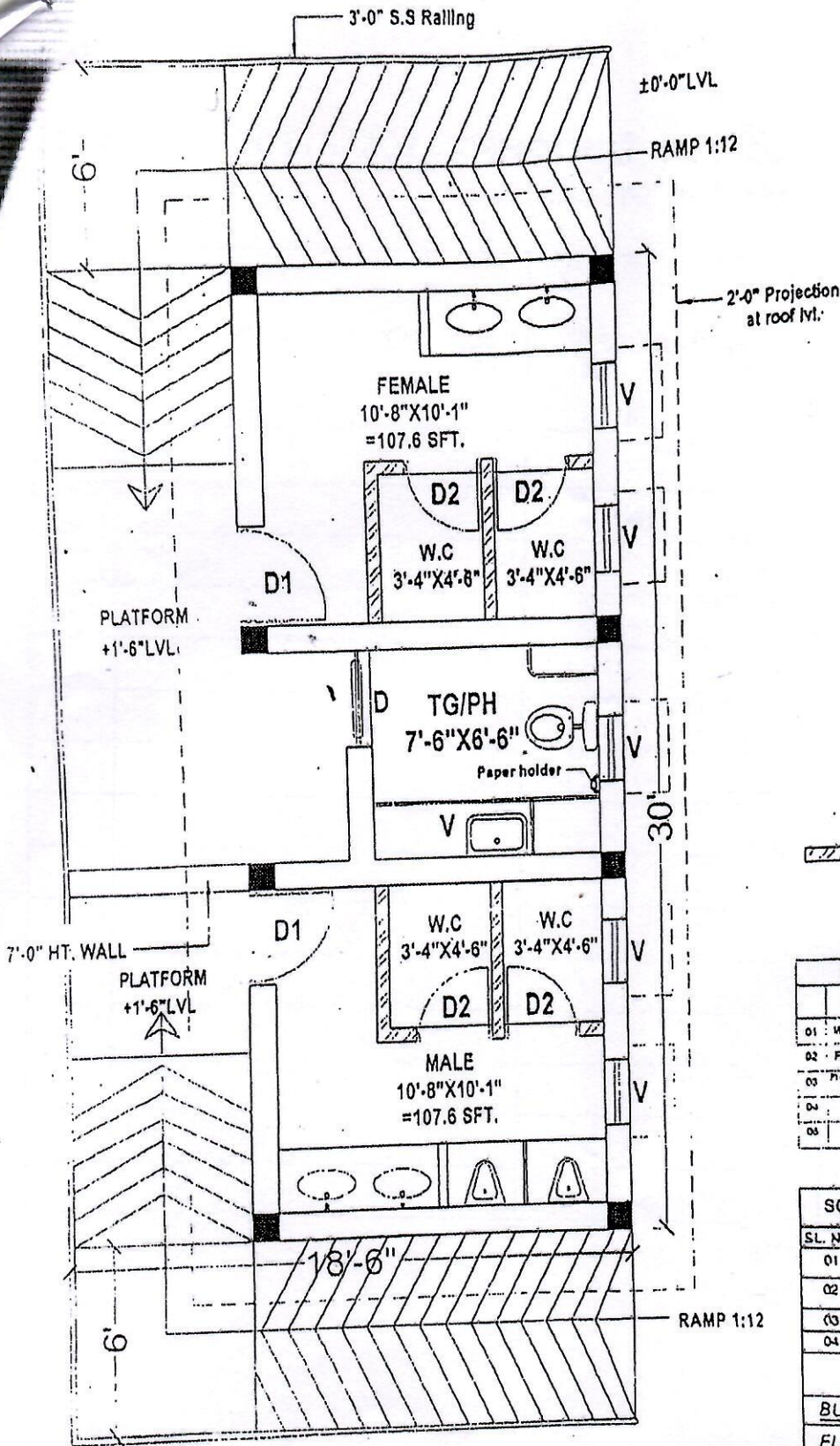
निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं०-SE-AP-
(म)82/2022/4118(म०) अनु० एवं 4119 (म०) अनु० दिनांक-21.06.2022 के प्रसंग में कहना है कि
उक्त पत्रों के साथ संलग्न मुख्य वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग के पत्र सं०-294 वास्तु०(अनु०)
दिनांक-16.06.2022 एवं सं०-288 वास्तु०(अनु०), दिनांक-16.06.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये क्रमशः
Lawyer's Hall एवं Toilet Complex निर्माण के निमित्त मॉडल वास्तुविधीय नक्शे को अनुमोदित
किया जाता है।

विश्वासभाजन,
23.6.2022

(ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।
23.6.22

11/7/22
27/6/22





INTERNAL 5" WALL - 7'-6" HT.

CARPET AREA STATEMENT		
REQUIREMENT	AS/ON NORMS	PROPOSED
01 - MALE TOILET	107.60 SFT.	107.60 SFT.
02 - FEMALE TOILET	107.60 SFT.	107.60 SFT.
03 - PHYSICALLY HANDICAPPED TRANSFER TOILET		15.75 SFT.
04		
05		

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS						
SL. NO.	TYPE	WIDTH	HEIGHT	SIL. LEV.	FIN. LEV.	
01	D	3'-6"	7'-0"	0'-0"	7'-0"	
02	D1	3'-0"	7'-0"	0'-0"	7'-0"	
03	D2	2'-6"	7'-0"	0'-0"	7'-0"	
04	V	2'-0"	2'-0"	5'-0"	7'-0"	

BUILDING HEIGHTS:-

FLOOR HEIGHT:- 10'-0"

PLINTH HT. - 1'-6"

SILL HT. - 3'-0"

LINTEL HT. - 7'-0"

LAND REQUIREMENT = 82'-0" X 53'-0"
BUILDING FOOT PRINT = 42'-0" X 18'-6"

AREA STATEMENT	
GROUND FLOOR B/U AREA =	370.00 SFT.
RAMP+PLATFORM B/U AREA =	290+109 = 399 SFT.
PROJECT	

PROPOSED MODEL PLAN OF TOILET COMPLEX

SHEET TITLE:-

GROUND FLOOR PLAN

DATE

DATE: 24.02.2022

PROJECT

DATE

PROJECT

DATE

PROJECT

DATE

PROJECT

DATE

PROJECT

DATE

PROJECT

DATE

Special Services, low deployment
vide letter no. 5644, dated 25.6.2021

OFFICE OF CHIEF ARCHITECT,
P. O. BOX 100, NEW DELHI

CWJC No.-20575/2021 रामाकांत शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में जिला एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालयों में टायलेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु स्थल उपलब्धता की अद्यतन स्थिति।

[illegible]